

पत्र-58/2PC/24747

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.3(7)खान/गुप-1/2023

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित रसायनिक सहायक को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से रसायनज्ञ के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	चयनित वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री शरद शर्मा	अनारक्षित	2023-24	01.06.2023

पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आशु चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
6081590



Digitally signed by Ashu Chaudhary
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.12 21:11:32 IST
Reason: Approved